न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथराम ॥, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :– 81/2018 अन्तर्गत धारा 212 Rt Act

अनवान :– रूखमणाराम वगैरा बनाम करनाराम वगैरा

वकील प्रार्थीगण :– श्री रतनाराम चौधरी

विप्रार्थीगण वकील :– श्री शाकर खान एच. (विप्रार्थी सं. 1)

श्री हुकमसिंह गोदारा (विप्रार्थी सं. 18),

श्री ठाकराराम कड़वासरा(विप्रार्थी सं. 2 के का.मु., 3, 7 से 10,12)

शेष विप्रार्थीगण एकतरफा

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) चौहटन

निर्णय

दिनांक : 23.12.2022

प्रार्थीगण ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.क़ा.अ. 1955 विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश किया। जिसका सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी सं. 1 से 13 के संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा हरपुनियोंवाला, पटवार क्षेत्र नेहरों की नाडी, तहसील चौहटन में खसरा सं. 532/467 रकबा 264.16 बीघा, खसरा सं. 454 रकबा 142.16 बीघा, खसरा सं. 455 रकबा 44.19 बीघा, खसरा सं. 466 रकबा 00.05 बीघा, खसरा सं. 478 रकबा 34.00 बीघा, कुल रकबा 486.16 बीघा की आई हुई है।

उक्त वादग्रस्त भूमि विप्रार्थी सं. 1 को पैतृक सम्पति के रूप में प्राप्त हुई जो वर्तमान में विप्रार्थी सं. 1 से 13 की खातेदारी की है। वक्त सेटलमेन्ट के समय वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण के पूर्वज जैरूपा के पैतृक खातेदारी की होने से जैरूपा के नाम से पर्चा लगान जारी किया गया। पैतृक सम्पति में पुत्र व पोते का जन्म से हक व हिस्सा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए उक्त पैतृक भूमि में विप्रार्थी सं. 1 के 1/18 हिस्से में प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा, विप्रार्थी सं. 1 का 1/5 हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण [illegible] 1/90–1/90 हिस्सा अर्थात प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से 2/45 हिस्सा [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2023.02.10 16:17:11 IST
Reason: SelfAttested

वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के [illegible] प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक 2/45 हिस्सा बनता है जिस पर प्रार्थीगण बाहामी [illegible] कर काबिज है। क्योंकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दु पुरूष के पुत्र, पौत्र एवं

सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रेक)चौहटन

प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार प्राप्त हो जाता है।

विप्रार्थी सं. 1 जो प्रार्थीगण एवं उनकी माता से ईर्ष्यापूर्ण व्यवहार रखता है। शराबी प्रवृति का व्यक्ति है। प्रार्थीगण व उनकी माता का भरण पोषण नहीं करता है। वर्तमान में भूमाफियों के दबाव में आकर प्रार्थीगण की जानकारी के बिना वादग्रस्त आराजी में विप्रार्थी सं. 1 के हिस्से की समस्त भूमि का बेचान/हस्तान्तरण करने पर आमदा है। जबकि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि होने से प्रार्थीगण का उसमें हक हिस्सा होने के कारण विप्रार्थी सं. 1 को प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं हिस्सा की जमीन बेचान करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि विप्रार्थी सं. 1 वादग्रस्त भूमि में अपना सम्पूर्ण हिस्सा बेचान करेगा तो प्रार्थीगण को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में मुद्रा के रूप में संभव नहीं होगी।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के मौजा हरपुनियोंवाला, पटवार क्षेत्र नेहरों की नाडी, तहसील चौहटन में खसरा सं. 532/467 रकबा 264.16 बीघा, खसरा सं. 454 रकबा 142.16 बीघा, खसरा सं. 455 रकबा 44.19 बीघा, खसरा सं. 466 रकबा 00.05 बीघा, खसरा सं. 478 रकबा 34.00 बीघा, कुल रकबा 486.16 बीघा में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में विप्रार्थीगण किसी प्रकार का हस्तक्षेप, दखलन्दाजी व बाधा कारित नहीं करे तथा पैतृक भूमि का वाद के निर्णय तक किसी प्रकार का बेचान, हस्तान्तरण व रहन आदि नहीं करे तथा मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे, इस आश्य की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी की जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वादग्रस्त भूमि मौजा हरपुनियोंवाला, पटवार क्षेत्र नेहरों की नाडी, तहसील चौहटन में खसरा सं. 532/467 रकबा 264.16 बीघा, खसरा सं. 454 रकबा 142.16 बीघा, खसरा सं. 455 रकबा 44.19 बीघा, खसरा सं. 466 रकबा 00.05 बीघा, खसरा सं. 478 रकबा 34.00 बीघा, कुल रकबा 486.16 बीघा के संबंध में मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई।

विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी सं. 2 की फौतगी पर प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 04 सठित धारा 151 सीपीसी मय संशोधित शीर्षक पेश किये गये। वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रार्थी प्रेमप्रकाश पुत्र भीखाराम का प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 स्वीकार होने से विप्रार्थी सं. 18 पक्षकार बनाया गया एवं संशोधित शीर्षक पेश किया गया। विप्रार्थी सं. 18 की ओर से अधि[illegible] हुकमसिंह गोदारा उपस्थित हुए। विप्रार्थी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री [illegible] सं. 2 के का.मु. एवं 3, 7 से 10,12 की ओर अधिवक्ता श्री [illegible] उपस्थित हुए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2023.02.10 16:17:11 IST
Reason: SelfAttested

विप्रार्थी सं. 1 व 18 के अधिवक्ता द्वारा आवेदन का जवाब तथा विप्रार्थी सं. 2 के का.मु. एवं 3, 7 से 10,12 की ओर अधिवक्ता द्वारा आवेदन का इकबालिया जवाब पेश किया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रेक) चौहटन

शेष विप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः शेष विप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली पेश हुई । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में वाद व आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी मौजा हरपुनियोंवाला, पटवार क्षेत्र नेहरों की नाडी, तहसील चौहटन में खसरा सं. 532/467 रकबा 264.16 बीघा, खसरा सं. 454 रकबा 142.16 बीघा, खसरा सं. 455 रकबा 44.19 बीघा, खसरा सं. 466 रकबा 00.05 बीघा, खसरा सं. 478 रकबा 34.00 बीघा, कुल रकबा 486.16 बीघा भूमि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी सं. 1 से 13 के संयुक्त खातेदारी की भूमि है। जिसमें प्रार्थीगण के पिता विप्रार्थी सं. 1 का 1/18 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का है। उक्त वादग्रस्त भूमि विप्रार्थी सं. 1 को पैतृक सम्पति के रूप में प्राप्त हुई जो वर्तमान में विप्रार्थी सं. 1 से 13 की खातेदारी की है। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में पुत्र व पोते का जन्म से हक व हिस्सा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए उक्त पैतृक भूमि में विप्रार्थी सं. 1 के 1/18 हिस्से में प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा, विप्रार्थी सं. 1 का 1/5 हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण रकबे का 1/90–1/90 हिस्सा अर्थात प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से 2/45 हिस्सा खातेदारी का बनता है। जिस पर प्रार्थीगण बाहामी बंटवाड़ा कर काबिज है।

वर्तमान में विप्राथी सं. 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि के खसरा सं. 532/467 में अपना सम्पूर्ण हिस्सा का बेचान विप्रार्थी सं. 18 को कर दिया है तथा शेष भूमि का बेचान भी करने हेतु प्रयासरत है। उक्त वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति होने से विप्रार्थी सं. 1 के 1/18 हिस्सा में प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/5–1/5 अर्थात् सम्पूर्ण रकबे का 1/90–1/90 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का था। विप्रार्थी सं. 1 द्वारा अपने हक एवं हिस्सा से अधिक बेचान किया गया है जो विधि विरूद्ध है। विप्रार्थी सं. 1 को अपने हिस्से से अधिक बेचान करने का कोई अधिकार नहीं था।

विप्रार्थी सं. 1 जो प्रार्थीगण एवं उनकी माता से ईर्ष्यापूर्ण व्यवहार रखता है। शराबी प्रवृति का व्यक्ति है। प्रार्थीगण व उनकी माता का भरण पोषण नहीं करता है। वर्तमान में भूमाफियों के दबाव में आकर प्रार्थीगण की जानकारी के बिना वादग्रस्त आराजी की शेष भूमि का बेचान /हस्तान्तरण करने पर आमदा है। जबकि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि होने से प्रार्थीगण का उसमें हक हिस्सा होने के कारण विप्रार्थी सं. 1 को प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं हिस्सा की जमीन बेचान करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि विप्रार्थी सं. 1 वादग्रस्त भूमि में अपना सम्पूर्ण हिस्सा बेचान करेगा तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में मुद्रा के रूप में संभव नहीं होगी। अतः निवेदन है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को तावाद् कन्फर्म किया जावे।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के दौरान निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2023.02.10 16:17:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रेक) चौहटन

1- 2011 (2) RRT 788 Vikash & Ors v/s Lekha Ram & Ors
2- 2008 (2) RRT 1123 Patasi v/s Smt.Gualbi & Ors
3- 2020 (2) RRT 998 Vineeta Sharma v/s Rakesh Sharma & Ors

बहस में विप्रार्थी सं. 18 के अधिवक्ता ने कथन किया कि मौजा हरपुनियोंवाला, पटवार क्षेत्र नेहरों की नाडी, तहसील चौहटन के खसरा सं. 532/467 रकबा 264.16 बीघा में से विप्रार्थी सं. 1 से उसका 1/18 हिस्सा, विप्रार्थी सं. 4 से 6 से उनके 1/36 हिस्से की भूमि विप्रार्थी सं. 18 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14.06.2017 को क्रय किया। जिसका कब्जा विप्रार्थी सं. 18 को सुपुर्द किया गया जिस पर उसका निर्विवाद कब्जा मौके पर चल रहा है। विप्रार्थी सं. 1 ने अपने हिस्से का बेचान करने से पूर्व विप्रार्थी सं. 18 से निवेदन किया था कि उसके बच्चे छोटे है, उसकी तबीयत सही नही है तथा वर्तमान में मजदूरी करने में वह सक्षम नहीं है । इसलिए अपने बच्चों के पालन पोषण एवं शिक्षा के खर्च के लिए वह अपना आंशिक हिस्सा का बेचान करना चाहते है। विप्रार्थी सं. 1 ने स्वविवेक से प्रार्थीगण के खर्चे की पूर्ति हेतु बेचान कर विप्रार्थी सं. 18 से उसका प्रतिफल प्राप्त किया। वर्तमान में प्रार्थीगण एवं उनकी माता ने लोगों के बहकावे में आकर उक्त बेचान का नामान्तरकरण रूकवाने तथा विप्रार्थी सं. 18 को बेवजह परेशान करने के लिए एकतरफा स्थगन आदेश प्राप्त किया है। पंजीयन दस्तावेज में इसका उल्लेख किया हुआ है कि उक्त बेचान पालन पोषण एवं शिक्षा के खर्च के लिए कर रहे है।

विप्रार्थी सं. 18 के वकील ने अपनी बहस में आगे कथन किया कि विप्रार्थी सं. 1 द्वारा खसरा सं. 532/467 रकबा 264.16 बीघा, खसरा सं. 454 रकबा 142.16 बीघा, खसरा सं. 455 रकबा 44.19 बीघा, खसरा सं. 466 रकबा 00.05 बीघा, खसरा सं. 478 रकबा 34.00 बीघा, कुल रकबा 486.16 बीघा में आंशिक बेचान खसरा सं. 532/467 से किया गया है तथा शेष खसरों का हिस्सा सुरक्षित है। प्रार्थीगण का वाद विचाराधीन है जो अभी प्रक्रियाधीन है जिसमें प्रार्थीगण का हक हिस्सा निर्धारित होना है। इसलिए निवेदन है कि मौजा हरपुनियोंवाला के खसरा सं. 532/467 रकबा 264.16 बीघा में से विप्रार्थी सं. 1 द्वारा जो बेचान पंजीयन दस्तावेज के विप्रार्थी सं. 18 को किया गया है उसके नामान्तरकरण की छूट स्थगन आदेश में दी जाकर यदि शेष स्थगन आदेश कन्फर्म किया जावे तो उन्हें कोई आपति नहीं है।

विप्रार्थी सं. 1 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि विप्रार्थी सं. 1 द्वारा वादग्रस्त खसरा सं. 532/467 रकबा 264.16 बीघा में से अपने 1/18 हिस्सा का बेचान विप्रार्थी सं. 18 को अपने परिवार के भरण पोषण एवं बच्चों की शिक्षा के लिए आने वाले खर्च के लिए किया गया है। जिसकी प्रतिफल राशि द्वारा विप्रार्थी सं. 18 से प्राप्त किया जाकर कब्जा विप्रार्थी सं. 18 को सुपुर्द कर दिया गया है। वर्तमान में प्रार्थीगण द्वारा लोगों के बहकावे में आकर उक्त बेचान का नामान्तरकरण रूकवाने तथा विप्रार्थी सं. 18 को बेवजह परेशान करने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2023.02.10 16:17:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रेक) चौहटन

लिए एकतरफा स्थगन आदेश प्राप्त किया है। इसलिए निवेदन है कि उक्त बेचान का नामान्तरकरण करने हेतु स्थगन आदेश में छूट न्यायहित में दी जावे।

विप्रार्थी सं. 2 के का.मु. एवं 3, 7 से 10,12 की ओर अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वे उक्त वादग्रस्त भूमि के संयुक्त खातेदार है। वादग्रस्त भूमि में विप्रार्थी सं. 1 का 1/18 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का है। उक्त वादग्रस्त भूमि विप्रार्थी सं. 1 को पैतृक सम्पति के रूप में प्राप्त हुई जो वर्तमान में विप्रार्थी सं. 1 से 13 की खातेदारी की है। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में पुत्र व पोते का जन्म से हक व हिस्सा उत्पन्न हो जाता है। उक्त भूमि पैतृक होने से विप्रार्थी सं. 1 के 1/18 हिस्से में प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा खातेदारी का बनता है। वर्तमान में विप्राथी सं. 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि के खसरा सं. 532/467 में अपना सम्पूर्ण हिस्सा का बेचान विप्रार्थी सं. 18 को कर दिया है। जो हमारे लिए एक अजनबी क्रेता है। विप्रार्थी सं. 1 द्वारा अपने हक एवं हिस्सा से अधिक बेचान किया गया है जो विधि विरूद्ध है। विप्रार्थी सं. 1 को अपने हिस्से से अधिक बेचान करने का कोई अधिकार नहीं था। इसलिए निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध मूल वाद के निर्णय तक स्थगन आदेश कन्फर्म किया जावे।

वकील उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । जिससे स्पष्ट होता है कि मौजा हरपुनियोंवाला, पटवार क्षेत्र नेहरों की नाडी, तहसील चौहटन में खसरा सं. 532/467 रकबा 264.16 बीघा, खसरा सं. 454 रकबा 142.16 बीघा, खसरा सं. 455 रकबा 44.19 बीघा, खसरा सं. 466 रकबा 00.05 बीघा, खसरा सं. 478 रकबा 34.00 बीघा, कुल रकबा 486.16 बीघा आई हुई है। जिसमें प्रार्थीगण के पिता विप्रार्थी सं. 1 का 1/18 हिस्सा खातेदारी में बनता है। उक्त वादग्रस्त भूमि विप्रार्थी सं. 1 को पैतृक सम्पति के रूप में प्राप्त हुई जो वर्तमान में विप्रार्थी सं. 1 से 13 की खातेदारी की है। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में पुत्र व पोते का जन्म से हक व हिस्सा उत्पन्न हो जाता है। इस आधार पर उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में विप्रार्थी सं. 1 के 1/18 हिस्से में प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का बनता है।

उक्त वादग्रस्त भूमि में से खसरा सं. 532/467 रकबा 264.16 बीघा भूमि में से विप्रार्थी सं. 1 द्वारा 1/18 हिस्सा का बेचान विप्रार्थी सं. [illegible] अपने परिवार को पालन पोषण पोषण एवं शिक्षा के खर्चे के लिए जरिये पंजीबद्ध [illegible] जिसका प्रतिफल विप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्राप्त किया जाकर कब्जा विप्रार्थी सं. 18 को सुपुर्द किया गया। उक्त बेचान के बाद प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी कें संबंध में एकतरफा स्थगन आदेश प्राप्त किया गया। जिससे वादग्रस्त आराजी के खसरा सं. 532/467 में से जरिये पंजीबद्ध दस्तावेज क्रय की गई

सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रेक)चौहटन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2023.02.10 16:17:11 IST
Reason: SelfAttested

भूमि का नामान्तरकरण रूक गया । जिसके नामान्तरकरण की छूट स्थगन आदेश में दी जाना न्यायालय के मतानुसार उचित प्रतीत होता है।

चूंकि वादग्रस्त भूमि विप्रार्थी सं. 1 को पैतृक सम्पति के रूप में प्राप्त हुई है। जिसमें हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार प्रार्थीगण का हिस्सा एवं अधिकार बनता है, जो वाद में सुरक्षित है। स्थगन आदेश में बेचान का नामान्तरकरण की छूट देने से प्रार्थीगण के अधिकार समाप्त नहीं हो जाते है। न्यायालय के मतानुसार शेष वादग्रस्त भूमि का बेचान विप्रार्थी सं. 1 द्वारा नहीं किया जावे इसलिए न्यायालय द्वारा जारी एकतरफा स्थगन आदेश को तावाद् कन्फर्म करना भी उचित प्रतीत होता है।

इसलिए मौजा हरपुनियोंवाला, पटवार क्षेत्र नेहरों की नाडी, तहसील चौहटन में खसरा सं. 532/467 रकबा 264.16 बीघा, खसरा सं. 454 रकबा 142.16 बीघा, खसरा सं. 455 रकबा 44.19 बीघा, खसरा सं. 466 रकबा 00.05 बीघा, खसरा सं. 478 रकबा 34.00 बीघा, कुल रकबा 486.16 बीघा के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी एकतरफा स्थगन आदेश दिनांक 30.06.2017 में खसरा सं. 532/467 रकबा 264.16 बीघा भूमि में विप्रार्थी सं. 18 द्वारा जरिये पंजीयन दस्तावेज के क्रय की गई भूमि का नामान्तरकरण की छूट दी जाकर शेष स्थगन आदेश तावाद् कन्फर्म किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2022 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैशल शुमार होकर सलंग्न मूल वाद हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) चौहटन

(भागीरथराम II)
सहायक कलक्टर
(फास्ट–ट्रेक), चौहटन

सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रेक)चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2023.02.10 16:17:11 IST
Reason: SelfAttested